# रेल भर्ती बोर्ड

## भारत सरकार, रेल मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारतीय रेल

## सीईएन-03/2015 - महत्वपूर्ण सूचना

### विभिन्न एनटीपीसी (स्नातक) पदों के लिए दूसरे चरण (सीबीटी) परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को नए वरीयता के क्रम प्राथमिकता के लिए आमंत्रित करना।

सीईएन-03/2015 के प्रकाशन के बाद सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th सीपीसी) की सिफारिश के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अधिसूचित सहायक स्टेशन मास्टर (एएसएम) ग्रेड पे रु.2800/- के पद को स्टेशन मास्टर (एसएम) रु.4200/- (7 वें सीपीसी के अनुसार लेवल 6) के ग्रेड पे में बढ़ाकर विलय कर दिया गया है। इसी प्रकार, ट्रैफिक असिस्टेंट, ग्रेड पे रु.2000/- के अधिसूचित पद का ग्रेड पे बढ़ाकर रु.2400/- (7 वें सीपीसी के अनुसार लेवल 4) कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के पैरा 1.14 के संदर्भ में, कुछ पदों के रिक्त पदों में कुछ संशोधन किए गया हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह वांछनीय और उम्मीदवारों के हित में होगा कि उन्हें विभिन्न पदों के लिए अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाये। जो उम्मीदवार पहले से ऑनलाइन आवेदन में दी गई अपनी वरीयताओं को बदलना चाहते हैं, इस अवसर का उपयोग करके अपनी प्राथमिकताओं को संशोधित करने में कर सकते हैं। उन उम्मीदवारों के मामले में, जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, ऑनलाइन आवेदन के समय दी गई उनकी मूल वरीयताओं को, आज की तिथि में संशोधित रिक्त पदों के अधीन अंतिम समझा जाएगा।

17 से 19 जनवरी, 2017 के दौरान दूसरे चरण के सीबीटी में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को तदनुसार नई प्राथमिकताएं भरने का विकल्प उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है। विकल्प का प्रयोग संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से 08.05.2017 (00.00 बजे) से 14.05.2017 (23.59 बजे) तक अवश्य करना होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो उम्मीदवार, अपनी पिछली वरीयताओं को बदलना चाहते हैं, को सभी पदों के संबंध में पूरी प्राथमिकताओं को भरना होगा, क्योंकि उनकी पिछली वरीयताओं को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। पदों और/या रेलवे/पीयू की वरीयता में परिवर्तन की संभावना केवल उसी आरआरबी के भीतर ही है, जिसमें उन्होंने आवेदन किया था। उपरोक्त अवधि के बाद वरीयताओं को बदलने के लिए व्यक्तिगत आवेदन या अन्य किसी रूप में अनुरोध आदि पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी उम्मीदवार द्वारा नवीनतम वरीयता नहीं देने के मामले में यह माना जाएगा कि वे विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और ऑनलाइन आवेदन के समय उपयोग किए गए पदों के लिए आज की तिथि में संशोधित रिक्त पदों के अधीन उनकी मूल वरीयता को अंतिम समझा जाएगा। द्वितीय चरण के सीबीटी का परिणाम नवीनतम वरीयताओं के आधार पर, यदि प्रयोग किया गया है, संसाधित किया जाएगा। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्राथमिकताओं की समीक्षा करने का यह अवसर भारतीय रेलवे में रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

**अध्यक्ष**

**दिनांक: 04.05.2017** रेल भर्ती बोर्ड